भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *53

उत्तर देने की तारीख - 06/02/2025

महाराष्ट्र में जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं

*53. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कोई नई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य में जनजातीय समुदायों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त राज्य में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने जनजातीय महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना लागू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री जुएल ओराम)

(क) से **(ड.):** विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *53 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुँच जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित छात्रावासों और सचल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) सहित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹8768 करोड़) है। एकत्रित आंकड़ों (31.01.2025 तक) के आधार पर, महाराष्ट्र के 17 जिलों में 3909 पीवीटीजी बस्तियों की 6,21,046 पीवीटीजी आबादी को पीएम जनमन के तहत कवर किया जा रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को भरना, छात्रावास, आंगनवाड़ी सुविधाएं और सचल चिकित्सा इकाइयां जैसी सामाजिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) है। अभियान के तहत 46,94,682 अनुसूचित जनजातियों को शामिल करते हुए महाराष्ट्र के 32 जिलों के लगभग 4975 गांवों को कवर किया जा रहा है।

इसके अलावा, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उसने 2023 में 250 आश्रम स्कूलों को आदर्श आश्रम स्कूल घोषित किया है। पहले चरण में, 250 आदर्श आश्रम स्कूलों में से 121 आश्रम स्कूलों में अत्याधुनिक डिजिटल शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए “डिजिटल वातावरण की स्थापना करते हुए” परियोजना शुरू की गई है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए, दूसरे चरण में शेष 129 आश्रम स्कूलों को कवर करने के लिए परियोजना का विस्तार किया जाएगा।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आदिवासी उद्यमिता पहल को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें एमएफपी/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र के रूप में परिकल्पित किया जाता है। पीएमजेवीएम योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य में 3,975 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के साथ कुल 265 वीडीवीके को मंजूरी दी गई है, जिससे 79,650 सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा, पीएम जनमन योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में 181.2 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 3624 सदस्यों वाले 40 वीडीवीके को स्वीकृति दी गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण लिंकेज प्रदान करता है, जिससे उनमें उद्यमशीलता की भावना पैदा होती है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ) और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत महाराष्ट्र में 45.96 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया और 11649 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई।

इसके अलावा, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि वह महाराष्ट्र में आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए शबरी वित्त और विकास सहयोग लिमिटेड, नासिक के माध्यम से आदिवासी छात्रों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में जनजातीय संस्कृति, विरासत, परंपरा और रीति-रिवाजों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मंत्रालय

“जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता” और “जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम” की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत जनजातीय समुदायों की जनजातीय संस्कृति, विरासत, अभिलेखागार, कलाकृतियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक और दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं। टीआरआई, पुणे जनजातीय सांस्कृतिक संग्रहालय, जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन आदि के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है। सरकार ने नागपुर में गोंडवाना संग्रहालय की स्थापना के लिए 132.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

(घ) से (ड.) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) ने सूचित किया है कि वह आदिवासी महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना) और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आदिवासी महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कुल योजना आवंटन का 8.6% निर्धारित करना अनिवार्य है। वित्त वर्ष 2024-25 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आदिवासी महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए 2380 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और अजजा छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों सहित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) जैसी योजनाएं महिलाओं और बच्चों सहित सभी को लाभान्वित करती हैं।

इसके अलावा, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य ने भारत रत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दिन में एक बार संतुलित भोजन उपलब्ध कराना है।

*****